



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष : (0755)2768390, 92, 94, 95, फैक्स : (0755) 4272644, 4271268

क्र./राशिके/मूल्यांकन/2012/1310

भोपाल, दिनांक 03.2.12

प्रतिभा पर्व तत्काल

प्रति,

1. कलेक्टर,
समस्त जिले, म.प्र.
2. सीईओ, जिला पंचायत,
समस्त जिले, म.प्र.
3. जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले, म.प्र.
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास,
समस्त जिले, म.प्र.
5. प्राचार्य, डाइट/डी.आर.सी.,
समस्त जिले, म.प्र.
6. जिला परियोजना समन्वयक,
जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले, म.प्र.

विषय— प्रतिभा पर्व द्वितीय चरण मूल्यांकन के अंतर्गत प्रथम-द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की सेवाएं।

संदर्भ— प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन, म.प्र. शासन का पत्र क एफ-11-54/2011/1/9 दि. 13.01.12

कृपया संदर्भित पत्र के अनुक्रम में प्रतिभा पर्व द्वितीय चरण के अंतर्गत आगामी 16 एवं 17 फरवरी को मूल्यांकन कार्य सभी विभागों के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों द्वारा किए जाने का म.प्र. शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसका कड़ाई से पालन अपेक्षित है।

कुछ जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलों में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रथम-द्वितीय श्रेणी अधिकारियों द्वारा अपने स्थान पर अपने सहायक को भेजा जाना प्रकाश में आया है जो आपत्तिजनक, शासन निर्णय व आदेश के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। अतः अनुपस्थित रहने और शासन के निर्णय व आदेश के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

आयुक्त,
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
एवं प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा (म.प्र.)।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा (म.प्र.)।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिवासी विकास (म.प्र.)।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
6. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग (म.प्र.)।
7. संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर (म.प्र.)।
8. प्राचार्य, आईएएसई, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर (म.प्र.)।
9. प्राचार्य, समस्त शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (म.प्र.)।
10. समस्त ओआईसी राशिके अपने प्रभार के जिलों में 15 से 17 फरवरी की अवधि में मॉनीटरिंग करेंगे।
11. समस्त अधिकारियों एवं शिक्षकों को एसएमएस करने हेतु।
- 12- पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।



आयुक्त,
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
एवं प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा